अध्याय III

सीबीआईसी में अपील मामलों हेतु निगरानी तंत्र

3.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अपील

सरकारी राजस्व संग्रह करते समय निर्धारिती और विभाग के बीच में मतभेद और विवाद होना स्वाभाविक है। क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग में विवाद समाधान के लिए सुपरिभाषित तंत्र विकसित किया गया है।

प्रत्येक प्रक्रिया, गैर/कम शुल्क उदग्रहण या किसी अन्य कारणों से राजस्व की वसूली के लिए कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करने के साथ शुरू होती है। एससीएन उस आधार को प्रस्तुत करता है जिस पर मंत्रालय ने एक विशिष्ट मत बनाया है। उक्त आधार को तैयार करते समय विभाग नोटिस प्राप्तकर्ता को संबंधित सभी तथ्यों, साक्ष्यों रिपोर्टो एवं कानूनों का खुलासा करता है और उसके दोषों के ब्यौरे देगा तथा कम किये भुगतान या गैर-भुगतान के साथ उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्यवाई का पूर्ण विवरण देता है। तब एससीएन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। निर्णय के आदेश के खिलाफ, निर्धारिती के साथ साथ विभाग भी अपील के लिए जा सकते है।

3.2 सीबीआईसी में अपील की प्रक्रिया

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का अध्याय VI ए अपील के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 35 और 36 में कमिश्नर (अपील), अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रावधान हैं। अपीलों से संबंधित अधिनियम के प्रावधान को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार सेवा कर पर लागू किया गया है।

निर्धारिती और विभाग दोनों को नियमों और अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध बहुस्तरीय उपायों का अधिकार दिया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर से नीचे के रेंक के अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के लिए प्रथम अपील कमिश्नर (अपील) को और उसके पश्चात

अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्त में सर्वोच्च न्यायालय के पास की जाएगी।

3.3 अपील मामलों की निगरानी

अपील मामलों की निगरानी और समग्र आंकड़ों का रखरखाव कमिश्नरी, डिविजन और रेंज द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय तक फाइल करने वाली अपील का निर्णय क्षेत्रीय संरचनाओं के द्वारा होता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय बोर्ड के स्तर पर होता है और क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) के माध्यम से बोर्ड में कानूनी मामलों के निदेशालय (डीएलए) द्वारा निगरानी की जाती है।

3.4 लेखापरीक्षा कवरेज

आंकड़ों के रखरखाव और बोर्ड स्तर पर अपील तन्त्र की निगरानी की पर्याप्तता की जांच के लिए हमने विभिन्न मंचों पर लंबित अपीलो से संबंधित डीएलए के अभिलेखों/डाटा की जांच की। हमने सेस्टेट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों से संबंधित 28 कमिश्नरियों[18] के डाटा/अभिलेखों की भी जांच की।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने बोर्ड स्तर पर क्षेत्रीय संरचना डाटा के रख-रखाव न करने, बोर्ड एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनुरक्षित डाटा में विसंगतियों तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बोर्ड के अनुदेशों के अननुपालन अर्थात न्यायालय निर्णयों की समीक्षा में विलंब, जल्द सुनाई के लिए अपील फाइल न करना समान मामलों की बंचिंग, अपील फाइल करने में विलंब और विभाग की तरफ से हुई चूक के कारण विभाग की अपील के खारिज होने के मामले देखे थे। आपत्तियों पर चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

---

18 अहमदाबाद उत्तर, बेलागावी, बेंगलुरू पूर्व, बेंगलुरू उत्तर, बेंगलुरू उत्तर पश्चिम, बेंगलुरू दक्षिण, बेंगलुरू पश्चिम, बोलपुर, चेन्नई बाहरी, दमन, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पश्चिम, डिब्रुगढ, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मैंगलोर, मैसूर, शिलांग, सिलीगुड़ी, सूरत, त्रिची

3.5.1 विभिन्न मंचों पर लम्बित अपील मामले

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निम्न तालिका 3.1 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित विभिन्न मंचों पर अपीलों का लम्बन दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लंम्बित अपीलें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंच	वर्ष के अंत में लंबित अपील					
		विभागीय अपीलों का विवरण		पार्टी की अपीलों का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	977	5,804	581	2,267	1,558	8,071
	उच्च न्यायालय	3,170	10,329	3,528	9,005	6,698	19,334
	सेस्टेट	7,120	11,915	30,201	65,760	37,321	77,675
	निपटान आयोग	0	0	71	77	71	77
	कमिश्नर (अपील)	2,243	359	12,711	3,047	14,954	3,406
	कुल	**13,510**	**28,407**	**47,092**	**80,156**	**60,602**	**1,08,563**
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	1,054	9,121	501	2,644	1,555	11,765
	उच्च न्यायालय	3,149	9,325	3,285	10,045	6,434	19,370
	सेस्टेट	4,660	11,374	23,136	58,668	27,796	70,042
	निपटान आयोग	0	0	28	50	28	50
	कमिश्नर (अपील)	1,687	492	8,249	2,999	9,936	3,491
	कुल	**10,550**	**30,312**	**35,199**	**74,406**	**45,749**	**1,04,718**

स्रोत:- मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि विव18 के अन्त में ₹ 1,04,718 करोड़ के राजस्व वाले लंबित अपीलों में 45,749 मामलें लंबित थे जिसमे विव17 के अन्त में लंबित रकम से 3.50 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की गयी। आगे यह देखा गया की पार्टियों की अपीलों में विव17 में ₹ 80,156 करोड़ की 47,092 अपीलों से विव18 में ₹ 74,406 करोड़ की 35,199 अपीलों की कमी आई। जबकि विभागीय मामलों की संख्या में विव17 में 13,510 से विव18 में 10,550 तक कमी आई लेकिन विव17 में सम्मिलित राजस्व में ₹ 28,407 करोड़ रूपये से विव18 में ₹ 30,312 करोड़ तक वृद्धि हुई। यह भी देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की राशि में विव17 में ₹ 8,071 करोड़ से विव18 में ₹ 11,765 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी।

चूंकि अपीलों के लंबित रहने तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, अत: ₹ 1,04,718 करोड़ के संभावित राजस्व को सरकारी कोष में लाने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा इनके जल्द निपटान के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है।

निम्न तालिका 3.2 में विभिन्न मंचों पर सेवाकर से संबंधित अपीलों का लम्बन दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: सेवा कर में अपीलों का लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंच	वर्ष के अंत में लंबित अपील					
		विभागीय अपीलों का विवरण		पार्टी की अपीलों का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	508	6,116	220	2,031	728	8,147
	उच्च न्यायालय	917	3,067	2,549	9,383	3,466	12,450
	सेस्टेट	5,610	15,506	21,737	78,821	27,347	94,327
	निपटान आयोग	0	0	75	189	75	189
	कमिश्नर (अपील)	2,513	497	16,720	6,398	19,233	6,895
	कुल	**9,548**	**25,186**	**41,301**	**96,822**	**50,849**	**1,22,008**
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	615	6,578	251	7,032	866	13,610
	उच्च न्यायालय	1,023	5,338	2,721	10,086	3,744	15,424
	सेस्टेट	4,584	13,401	20,076	72,748	24,660	86,149
	निपटान आयोग	1	1	58	253	59	254
	कमिश्नर (अपील)	2,332	764	12,057	4,706	14,389	5,470
	कुल	**8,555**	**26,082**	**35,163**	**94,825**	**43,718**	**1,20,907**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडे

तालिका दर्शाती है कि अपीलों में सेवाकर राजस्व ₹ 1,20,907 करोड़ की राशि के मामले विव18 में अन्त में लंबित थे जिनमें विव17 के अन्त में लम्बित राशि से एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। यह भी देखा गया कि हालांकि कुल अपीलों में विव17 में 50,849 से विव18 में 43,718 तक कमी आई, सर्वोच्च न्यायालय में अपील मामलों में विव17 में ₹ 8,147 करोड़ मूल्य के 728 मामलों से विव18 में ₹ 13,610 करोड़ मूल्य के 866 मामलों तक वृद्धि हुई और उच्च न्यायालय में विव17 ₹ 12,450 करोड़ मूल्य के 3,466 मामलों से विव18 में ₹ 15,424 करोड़ मूल्य के 3,744 मामलों तक वृद्धि हुई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टुबर 2018) कि अपील मामलों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है और आंकड़ों से संबंधित रखरखाव एंव निगरानी के लिए डीएलए उत्तरदायी है। राजस्व के बकायों का कर वसूली सेल द्वारा शीर्ष स्तर पर पता लगया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर सामान्य प्रकृति का है क्योंकि लंबित मामलों में शामिल रकम में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई। हमारी जांच के दौरान हमने देखा की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अपील मामले से संबंधित कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था जिसका उल्लेख अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

3.5.2 अपील मामलों का निपटान

निम्न तालिका 3.3 में पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित विभिन्न मंचों से निपटाऐ गये मामलों की स्थिति को दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3.3: पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपील मामलों का ब्यौरा

वर्ष	मंच	विभागीय अपीलें				पार्टी की अपीलें			
		विभाग के पक्ष में निर्णीत	विभाग के विरूद्ध निर्णीत	वापस भेजे	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णीत	पार्टी के विरूद्ध निर्णीत	वापस	पार्टी की सफल अपीलों का %
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	27	204	8	11.30	21	36	8	32.31
	उच्च न्यालय	165	1,212	26	11.76	296	359	80	40.27
	सेस्टेट	422	3,179	275	10.89	4,260	1,056	1,199	65.39
	निपटान आयोग	0	0	0	0	13	45	4	20.97
	कमिश्नर (अपील)	395	573	51	38.76	4,759	3,328	383	56.19
	कुल	**1,009**	**5,168**	**360**	**15.44**	**9,349**	**4,824**	**1,674**	**59.00**
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	37	79	12	28.91	93	38	35	56.02
	उच्च न्यायालय	142	693	69	15.71	302	300	147	40.32
	सेस्टेट	674	1,769	392	23.77	5,080	1,975	2,302	54.29
	निपटान आयोग	0	0	0	0	5	27	8	12.50
	कमिश्नर (अपील)	895	916	111	46.57	4,685	5,692	1,028	41.08
	कुल	**1,748**	**3,457**	**584**	**30.20**	**10,165**	**8,032**	**3,520**	**46.81**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि विभाग की अपीलों की सफलता दर में विव17 में 15.44 प्रतिशत से विव18 में 30.20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,

जबकि पार्टियों की अपीलों की सफलता की दर में विव17 में 59 प्रतिशत से विव18 में 46.81 प्रतिशत तक कमी आई थी। यह भी देखा गया कि विभाग की विव18 में अपीलों की सफलता की दर पार्टियों की अपीलों की तुलना में सेस्टेट (54.29 प्रतिशत के प्रति 23.77 प्रतिशत), उच्च न्यायालय (40.32 प्रतिशत के प्रति 15.71 प्रतिशत) और सर्वोच्च न्यायालय में (56.02 प्रतिशत के प्रति 28.91 प्रतिशत) बहुत कम है।

निम्न तालिका 3.4 में पिछले दो वर्षों के दौरान सेवा कर से संबंधित विभिन्न मंचों से निपटाए गए मामलों को दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: पिछले दो वर्षों के दौरान सेवाकर के अपील मामलों का ब्यौरा

वर्ष	मंच	विभागीय अपीलें				पार्टी की अपीलें			
		विभाग के पक्ष में निर्णीत	विभाग के विरूद्ध निर्णीत	वापस भेजे	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णीत	पार्टी के विरूद्ध निर्णीत	वापस	पार्टी की सफल अपीलों का %
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	9	14	4	33.33	2	6	9	11.76
	उच्च न्यायालय	29	204	10	11.93	139	346	79	24.65
	सेस्टेट	198	1,508	135	10.76	1,560	644	635	54.95
	निपटान आयोग	0	0	0	0	17	53	4	22.97
	कमिश्नर (अपील)	485	781	122	34.94	4,026	3,803	2,098	40.56
	कुल	**721**	**2,507**	**271**	**20.61**	**5,744**	**4,852**	**2,825**	**42.80**
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	1	61	26	1.14	3	4	6	23.08
	उच्च न्यायालय	20	171	117	6.49	124	286	110	23.85
	सेस्टेट	393	754	274	27.66	1,920	855	1250	47.70
	निपटान आयोग	0	0	0	0	6	35	13	11.11
	कमिश्नर (अपील)	631	847	341	34.69	4,140	6,462	1,849	33.25
	कुल	**1,045**	**1,833**	**758**	**28.74**	**6,193**	**7,642**	**3,228**	**36.29**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडे

तालिका दर्शाती है कि विभाग की अपीलों की समग्र सफलता की दर में विव17 में 20.61 प्रतिशत से विव18 में 28.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया की विव18 में विभाग की अपीलों की सफलता की दर पार्टियों की अपीलों की तुलना में सेस्टेट (47.70 प्रतिशत के प्रति 27.66 प्रतिशत), उच्च न्यायालय (23.85 प्रतिशत के प्रति 6.49 प्रतिशत) और सर्वोच्च न्यायालय में (23.08 प्रतिशत के प्रति 1.14 प्रतिशत) बहुत कम थी। इसके

अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में विभाग की अपीलों की सफलता की दर में वित्र17 में 33.33 प्रतिशत से वित्र18 में 1.14 प्रतिशत की कमी हुई है। उसी प्रकार, उच्च न्यायालय के मामलों में यह कमी वित्र17 के 11.93 प्रतिशत से वित्र18 में 6.49 प्रतिशत की है।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2018) की यह केवल सांख्यिकीय आंकडे है जिनकी निगरानी डीएलए द्वारा की जा रही है। विभाग की सफलता दर की कमी और उसके कारणों पर कोई टिप्पणियां नहीं की गई है। मंत्रालय को चाहिये कि विभाग की अपीलों की सफलता की निम्न्न दर की जांच करें और उचित उपाय करें।

3.5.3 बोर्ड स्तर पर अपीलों की निगरानी करना

जैसे कि बोर्ड के आदेश एफ.स. 275/20/2016-सीएक्स.8ए दिनांक 10 जून 2016, में यथा परिकल्पित है, डीएलए बोर्ड क्षेत्रीय संरचनाओं के और इनके कानूनी और न्यायिक कार्यों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। डीएलए को आवश्यक है कि बोर्ड के साथ, मुख्य विभागीय प्रतिनिधि (सीडीआर) कार्यालय, कानून मंत्रालय, प्रणाली निदेशालय, बोर्ड की क्षेत्रीय संरचनाओं, कानूनी मामलों के विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग (सीएएस), वरिष्ठ कानून अधिकारियों, सरकारी वकील इत्यादि के साथ नजदीकी समन्वय से कार्य करें। डीएलए को अखिल भारतीय स्तर पर आधारित सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेस्टेट से संबंधित अपीलों का कानूनी और न्यायिक डाटाबेस के रखरखाव और निगरानी का भी अधिदेश प्राप्त है। हमने डीएलए में अपीलों से संबंधित डेटा रखरखाव प्रणाली और निगरानी तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच की। हमारे संज्ञान में आई कुछ आपत्तियां इस प्रकार है:

3.5.3.1 बोर्ड स्तर पर क्षेत्रीय संरचनाओं के निष्पादन के निगरानी तंत्र में कमियां

हमने देखा कि डीएलए में जोन/कमिश्नरी वार रिपोर्ट का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था अथवा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, डीएलए ने बताया कि केवल अखिल भारतीय स्तर पर समेकित आंकड़ें ही उपलब्ध थे जिसे आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय

(डीडीएम) द्वारा अनुरक्षित प्रणाली से डाउनलोड किया जाता है और बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। डीएलए ने आगे सूचित किया कि सभी कमिश्नरियों के लिए आकड़ें डाउनलोड करना अधिक समय लेने वाला कार्य होगा तथा क्षेत्रीय संरचनावार सूचना को समेकित करने में तीन माह लगेगें। जोन/कमिश्नरी-वार प्रतिवेदनों का गैर अनुरक्षण, जोन/कमिश्नरियों में अपीलों की स्थिति की निगरानी के अभाव तथा बोर्ड द्वारा योजना/समीक्षा तथा निपटान हेतु निर्देश जारी करने की गैर मौजूदगी को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि विभिन्न अपीलिय मंचों पर लंबित अपीलों से संबंधित डाटा का रखरखाव डीडीएम द्वारा इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा रहा है। डीएलए डाटाबेस का कार्यकारी स्वामी है और उन डाटा के ऑनलाइन अनुरक्षण में मदद करता है। क्षेत्रवार और कमिश्नरी वार आंकडे डीडीएम की वेबसाईट पर उपलब्ध है जोकि अनुकूलित कमांड डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। आगे यह बताया गया है कि अपीलों के मासिक आंकडों का प्रयोग बोर्ड द्वारा लंबन की निगरानी के लिए और योजनाओं/रणनीति का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसके आधार पर अपीलों के निपटान के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी किए जाते है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है यद्यपि डीडीएम द्वारा अनुरक्षित सिस्टम में विस्तृत आंकड़ें उपलब्ध थे, डीएलए जोनो/ कमिश्नरियों के निष्पादन की निगरानी हेतु इसका उपयोग नहीं कर रहा था क्योंकि सिस्टम कमिश्नरी-वार समेकित-रिपोर्ट की डाउनलोडिंग में सक्षम नहीं है। डीएलए को आंकड़ों का अधिक प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन कराने चाहिए।

3.5.3.2 सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील मामलों के संबंध में डाटाबेस का अनुचित अनुरक्षण

डीएलए बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाओं की नोडल-एजेंसी है तथा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील मामलों से संबंधित डाटाबेस की निगरानी और रखरखाव के लिए अधिदेशित है। तदनुसार डीएलए से स्वीकृत मामलों की निगरानी के लिए एक डाटाबेस का रखरखाव करना और कानून अधिकारियों और सलाहकार सहित कानून एवं न्याय मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और

कानून मंत्रालय के केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग के बीच संबंध स्थापित करना अपेक्षित है।

हमने डीएलए से सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों के 3006 लंबित मामलों का विवरण एकत्र किया। मार्च 2018 वर्ष के अन्त में आंकड़ों के विवरणों की संवीक्षा में अनियमितताएं पाई गई जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है:

(i) 146 मामलों में सिविल अपील डायरी संख्या उल्लिखित नहीं थी।

(ii) 102 मामलों में सिविल अपील/विशेष अवकाश याचिका संख्या और वर्ष उल्लिखित नहीं थी।

(iii) 74 मामलों में सेस्टेट/उच्च न्यायालय आदेश संख्या उल्लिखित नहीं थी।

(iv) 67 मामलों में 'शामिल मुद्दा' उल्लिखित नहीं था।

(v) 11 मामलों में 'अन्तिम दिनांक सूचीबद्ध' उपलब्ध नहीं थी।

(vi) 1,526 मामलों में केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग संख्या और वर्ष उल्लिखित नहीं था।

(vii) छः मामलों में कमिश्नरी का नाम उल्लिखित नहीं था।

(viii) डाटा बेस में इकाईयों के राजस्व आंकडें की इकाई भी एकरूप नहीं थी। विभिन्न मामलों में इसे रूपयों में, हजार मे, लाख में या करोड़ में दर्शाया था। इसके अलावा, 123 मामलों में, आंकडें शून्य से दर्शाये गये या कॉलम को खाली छोडा गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2018), मंत्रालय ने यह कहते हुए टिप्पणी को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताओं का डीएलए द्वारा केन्द्रीय एजेन्सी अनुभाग (सीएएस) और क्षेत्रीय संरचनाओं के परामर्श से संशोधन किया गया है/संशोधन किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आंकड़ों में अपूर्णता/कमियों का प्रभाव न केवल डीएलए में अपील मामलों की निगरानी पर पड़ता है अपितु यह बोर्ड को शामिल राजस्व और अन्य सूचना का गलत चित्रण करता है।

3.5.3.3 मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) में दर्शाए गये अपील मामलों के आंकड़ों में विसंगति

निगरानी तंत्र के भाग के रूप में, सभी क्षेत्रीय संरचनाओं से विभिन्न मंचों पर लंबित अपील मामलों की स्थिति को एमपीआर के रूप में उपलब्ध कराना अपेक्षित है और डीएलए से अपेक्षित है कि एमपीआर को समेकित करें तथा इसकी अखिल भारतीय स्थिति को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

हमने डीएलए द्वारा अनुरक्षित एमपीआर आंकड़ों में कुछ अनियमितताएं देखी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(i) मार्च 2018 माह के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के एमपीआर में दर्शाए गए अपील मामलों के संख्या और राशि के अन्त शेष की गणना गलत थी (अन्त शेष की गणना आदि शेष के रूप में वर्ष के दौरान अपीलों के नए मामलों को जोडकर व वर्ष के दौरान निपटान किये गये मामलों को घटाकर की गई) जैसा तालिका 3.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: मार्च 2018 की एमपीआर में दर्शाई गई अन्त शेष में विसंगति

(₹ करोड़ में)

	निम्न द्वारा दायर अपीलें	अन्त शेष (मार्च 2018 एमपीआर के अनुसार)		अन्त शेष (लेखापरीक्षा गणना के अनुसार)		अंतर	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	विभाग	10,550	30,312	11,806	35,547	(-)1,256	(-)5,235
	पार्टी	35,199	74,406	41,632	86,518	(-)6,433	(-)12,112
सेवाकर	विभाग	8,555	26,082	10,003	35,596	(-)1,448	(-)9,514
	पार्टी	35,163	94,825	40,810	1,21,430	(-)5,647	(-)26,605

अंतर का एक कारण था कि जून 2017 के एमपीआर में अंतिम शेष को जुलाई 2017 के एमपीआर में आदि शेष के रूप में यथोचित नहीं लिया गया था। इसी प्रकार क्षेत्रीय संरचनाओं में समान अनियमितताएं देखी गई जैसे हमने देखा कि दिल्ली उत्तर कमिश्नरी में जून 2017 (73 मामलों में ₹ 217.37 करोड़ की राशि) के के अन्त शेष को जुलाई 2017 (8 मामलों में ₹ 46.93 करोड़ की राशि) के आदि शेष में त्रुटिपूर्ण लिया था। इसी प्रकार, पूर्वी

दिल्ली कमिश्नरी में जून 2017 के अन्त शेष को (42 मामलों में ₹ 112.05 करोड़ की राशि) जुलाई 2017 के लिए आदि शेष (15 मामलों में ₹ 3.26 करोड़ की राशि) त्रुटिपूर्ण लिया गया था।

(ii) हमने निपटान किये गये मामलों के आंकड़ों में भी विसंगति देखी, जैसे आंकड़ों का उनके ब्यौरों से मिलान नहीं हुआ अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में विभाग के पक्ष में निर्णय, निर्धारिती के पक्ष में निर्णय, अशत: अनुमति, प्रति प्रेषण हस्तांतरण (डीएलए सीई-1 और डीएलए सीई-2 विवरण के अनुसार) और सेवा कर (डीएलए एसटी-1 और डीएलए एसटी-2 के विवरण के अनुसार)। जैसे तालिका 3.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: मार्च 2018 की एमपीआर में दिखाये उनके ब्यौरें के संदर्भ में निपटाए गए कुल अपील मामलों की संख्या में अन्तर

	निम्न द्वारा दायर अपील	कुल निष्पादित मामले (1)	विव18 के दौरान निर्णीत मामलों के ब्रेकअप					अन्तर [सं. 1-(2+3+4+5+6)]
			विभाग के पक्ष में निर्णीत (2)	विभाग के विरूद्ध निर्णीत (3)	अंशत: अनुमत (4)	प्रति प्रेषित (5)	हस्तांतरित (6)	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	विभाग	6,697	1,748	3,457	238	584	132	538
	पार्टी	26,611	8,032	10,165	1,932	3,520	489	2,473
सेवाकर	विभाग	4,042	1,045	1,833	142	758	21	243
	पार्टी	22,463	7,642	6,193	3,598	3,228	450	1,352

जब हमने इसे बताया (जून 2018), मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि एमपीआर डीडीएम वेबसाईट पर ऑनलाइन अनुरक्षित की जाती है और आपत्तियां डीडीएम से संबंधित है। अंत: शेष का गलत मिलान सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण है। लेखापरीक्षा आपत्ति को डीडीएम को भेजा गया था (अगस्त 2018) जिसमें उनसे त्रुटियों के संशोधन करने और डीएलए को एक प्रति के साथ लेखापरीक्षा को अनुपालन प्रस्तुत करने के अनुरोध किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डीएलए अपील मामलों की निगरानी के लिए नोडल एजेन्सी होने के नाते सीधे तौर पर लेखापरीक्षा को सूचित करने के लिए डीडीएम को लेखापरीक्षा आपत्तियां भेजने के बजाय आंकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करना है। यह भी दर्शाता है कि आंकड़ों का कार्यकारी स्वामी

होते हुए, डीएलए डीडीएम द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों की निगरानी नहीं कर रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्तर पर, बोर्ड को प्रस्तुत किए जा रहे, आंकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

3.5.3.4 सर्वोच्च न्यायालय मामलों और एमपीआर के संबंध में डीएलए द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगति

सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में डीएलए द्वारा अनुरक्षित कुल अपील मामलों[19] और एमपीआर में दर्शाए गए उक्त के आंकडों के बीच अंतर था। जैसा कि नीचे विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।:

तालिका 3.7: सर्वोच्च न्यायालय अपील मामलों के आंकड़ों में विसंगति

वर्ष	डीएलए द्वारा दिये गये एमपीआर के अनुसार कुल मामलें	डीएलए द्वारा अनुरक्षित विस्तुत आंकड़ों टा के अनुसार कुल मामले	अन्तर
विव16	2,925	2,975	50
विव17	2,946	3,323	377
विव18	3,080	3,006	(-)74

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2018) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि मैनुअल आंकड़ों का बेमेल होना एक सामान्य घटना है। डीएलए के अन्तर्गत विशेष निगरानी सेल अपने आंकड़ा पत्र को प्रतिदिन अद्यति करता है। जबकि, क्षेत्रीय संरचना, निर्णय की सत्यापित प्रतियों की प्राप्ति पर और कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद यह कार्य करता है जिसमें समय लगता है। ऐसे गलत-मिलानों का मिलान समय-समय पर किया जाने वाला अभ्यास है और इसे वर्तमान मामलें में भी मिलान किया गया था।

बोर्ड/मंत्रालय को प्रभावी निगरानी के लिए बोर्ड को भेजे गये आंकड़ों की शुद्धता और आंकड़ों के समय पर मिलान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। कमिश्नरियों द्वारा अनुवर्तित मामलों के मूलभूत आंकडों में अन्तर एक गंभीर मामला है और जिसे तत्वगत आधार पर सुलझाने की जरूरत है।

---

19 केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर, सीमाशुल्क के अपील मामलों को शामिल करता है।

3.5.3.5 उच्च राजस्व मामलों के शीध्र निपटान के लिए बोर्ड के दिशा निर्देशों का अननुपालन

बोर्ड ने अ.प.सं. 1080/24/डीएलए/तकनीक/बैठक-मुकदमा/17(भाग) दिनांक 25 अगस्त 2017 के अनुसार अवलोकन किया कि 30 जून 2017 को ₹ 10 करोड़ अथवा उससे अधिक राजस्व वाले 3,047 मामले सर्वोच्चय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सेस्टेट में एक वर्ष से अधिक से लंबित थे और शीघ्र सुनवाई/रोक हटाने हेतु विविध आवेदनों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय/ सेस्टेट में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु केन्द्रीय जीएसटी और सीमा शुल्क निपटान हेतु सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रा. आयुक्त को निर्देशित किया।

क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इस पर की गई कार्यवाही और डीएलए द्वारा इसकी निगरानी की जांच पर हमने देखा (जुलाई 2018) कि ₹ 10 करोड़ और अधिक के शामिल राजस्व के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 63 अन्तर्गत आवेदनों को शीघ्र सुनवाई हेतु दायर किया गया है। सेस्टेट और उच्च न्यायालय में 197 मामलों भी आवेदन दिये गये थे। इस प्रकार, 3,047 मामलों में से केवल 260 मामलों (8.53 प्रतिशत) पर ही कार्यवाही की गई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि 3,047 में से, प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ उससे अधिक के शामिल राजस्व मामले विभागीय मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विभागीय मामलों की कुल संख्या 201 है, इनमें से, 63 मामलों में शीघ्र सुनवाई वाले आवेदनों को पहले ही दायर किया जा चुका है। और 11 मामलों में शीघ्र सुनवाई के आवेदनों का मसौदा प्रक्रिया धीन है। पार्टी में दायर अपील जहां स्टे स्वीकृत किया गया है, विभाग ने वहा बड़ी राजस्व के शामिल होने के मामले में आईए द्वारा स्टे छोडने के लिए कदम उठाये है। आगे, क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार सेस्टेट और उच्च न्यायालय में 197 आवेदनों को दर्ज किया गया है।

मंत्रालय के उत्तर से स्पष्ट है कि 3,047 मामलों में से केवल 271 मामलों (8.89 प्रतिशत) पर कार्यवाही की गई/या की जा रही थी।

बोर्ड/मंत्रालय को इस संबंध में सभी संबंधितों द्वारा इसके दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.5.4 क्षेत्रीय संरचनाओं में अपील मामलों की निगरानी

हमने 28 कमिश्नरियों में अपील मामलों के संबंध में डाटा बेस के रखरखाव और इसकी निगरानी की जांच की। हमनें अपील मामलों के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा रखे गए डाटा में विसंगति देखी। हमने प्रक्रियाओं/निर्देशों के गैर-अनुपालन के उदाहरणों को भी देखा, जिसके परिणाम स्वरूप मामलों के गैर-निपटान के साथ-साथ विभाग के खिलाफ मामलों का निपटान भी हुआ है। अभियुक्तियों पर अगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.5.4.1 अपील मामलों के आंकड़ों का अनुचित अनुरक्षण

(i) हमने चार कमिश्नरियों[20] द्वारा रखे गऐ और एमपीआर में दर्शाये गये आंकड़ों में विसंगति को देखा जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- अहमदाबाद कमिश्नरी में, एक वर्ष से भी कम समय के लिए वास्तव में लंबित 224 मामलों के प्रति 345 मामले सेस्टेट (अनुलग्नक एसटी-2) में लंबित के तौर पर दिखाए गए थे।
- कोच्चि कमिश्नरी में, एमपीआर में दर्शाए गए सेस्टेट में लंबित मामलों (933) की संख्या समीक्षा सेल (1,461) द्वारा रखे गए आंकडें से अलग थी।
- दक्षिण दिल्ली कमिश्नरी में, सर्वोच्च न्यायालय (अनुलग्नक सी ई-6) में लंबित के रूप में दर्शाए गए चार मामलों में ₹ 1,515.02 करोड़ की राशि शामिल है जो विधि सेल द्वारा रखे गए डाटा में उपलब्ध नहीं थी।
- हैदराबाद कमिश्नरी में, विवरण में उच्च न्यायालय के मामलों की संख्या और राशि के अंत शेष में भिन्नता थी जैसे सीई-1 (23 मामले, ₹ 9.60 करोड़), सीई-2 (7 मामले, ₹ 9.19 करोड़), सीई-6 (0, ₹ 54.93

20 अहमदाबाद, कोच्चि, दक्षिण दिल्ली, हैदराबाद

करोड़), एसटी-1 (4 मामले, ₹ 61.71 करोड़), एसटी-2 (14 मामले ₹ 4.20 करोड़), एसटी-6 (1 मामला, ₹ 60.80 करोड़)

- हैदराबाद कमिश्नरी में, सेस्टेट मामलों में सीई-2 (1 मामला, ₹ 0.65 करोड़) एसटी-1 (211 मामलें ₹ 799.38 करोड़), एसटी-2 (452 मामले, ₹ 2,830.04 करोड़) और एसटी-6 (59 मामले, ₹ 2,133.91 करोड़) में इसी तरह की भिन्नता देखी गई थी

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि सभी कमिश्नरियों में विसंगति का समाधान कर लिया गया है।

(ii) हमने पांच कमिश्नरियों[21] में उनके एमपीआर में दर्शाए गए लेखापरीक्षा और आंकडो के लिए विभाग द्वारा प्रदत्त आंकडों में विंसगती देखी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- चेन्नई आउटर कमिश्नरी में, उच्च न्यायालय के कुल लम्बित मामलें (211 मामले) और सेस्टेट (18 मामलें) एमपीआर में दिखाए गए आंकडों (209 मामले) और सेस्टेट (126 मामले) से अलग थे। इसी प्रकार विव18 के दौरान उच्च न्यायालय में (24 मामले) और सेस्टेट (94 मामले) में निपटाए गए मामलों की संख्या, एमपीआर में दर्शाये गये आंकड़ों उच्च न्यायालय (0) सेस्टेट (1 मामला) से अलग थी।

- बेंगलुरू दक्षिण कमिश्नरी में, विव16 (16 मामले), विव17 (22 मामले), विव18 (28 मामले) के दौरान निर्धारितियों के पक्ष में निर्णय दिए गए मामलों की संख्या एमपीआर के आंकडों, विव16 (33 मामलें), विव17 (67 मामले), विव18 (93 मामले) से अलग थे।

- अहमदाबाद कमिश्नरी में विव16 (184 मामले), विव17 (247 मामले) और विव18 (85 मामले) के लिए एमपीआर में उपलब्ध आंकडे विव16 (30 मामले), विव17 (42 मामले) और विव18 (84 मामले) के दौरान सेस्टेट में निपटाए गए अपील मामलों की संख्या से अलग थे।

---

21 चेन्नई आउटर, बेंगलुरू दक्षिण, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता दक्षिण

- सूरत कमिश्नरी में, विव18 (352 मामले) के दौरान सेस्टेट में निपटाए गए मामलों की संख्या विव18 (285 मामले) के लिए एमपीआर के आंकडों से अलग थी।
- कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में विव18 के लिए लंबित अपील मामलों के आंकडे सीई (344 मामले) और एसटी (481 मामले) मुख्य कमिश्नरी कार्यालय में उपलब्ध आंकडों सीई (403 मामले) एवं एसटी (490 मामले) से अलग थे।

मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार किया (अक्टूकर 2018) और बताया कि चेन्नई आउटर कमिश्नरी में उच्च न्यायालय मामालों के निपटान की सर्त्याथ सत्यापित प्रतियां विव18 के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी और इस मुद्दे पर कार्यवाही की जा रही है। अहमदाबाद कमिश्नरी में, पूर्व की अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी द्वारा नई सीजीएसटी और सीएक्स अहमदाबाद दक्षिण कमिश्नरी को आंकड़ें प्रदान नहीं किये गये थे। समग्र आदेशों में सेस्टेट द्वारा निपटाए गए कई मामलों के तरीकों में भी अन्तर है। विसंगति, हालांकि, सुधार ली गई थी। सूरत कमिश्नरी में, एमपीआर में केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में शामिल करने के कारण विसंगति उत्पन्न हुई। कोलकाता कमिश्नरी में विसंगतियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे। बेंगलुरू दक्षिण कमिश्नरी के संबंध में जवाब का इंतजार था।

जवाब इंगित करता है कि क्षेत्र में आंकड़ें सम्मिलित करते समय और उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के दौरान उचित देखभाल की कमी थी। चूंकि उच्च प्राधिकारियों को क्षेत्रीय संरचनाओं के द्वारा प्रस्तुत डाटा अपील मामलों में निपटारे के लिए उचित निगरानी और नीति तैयार करने का आधार है, डाटा के अनुचित रखरखाव और उसे उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने में अपील मामलों की निगरानी की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभाग/मंत्रालय को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा रखे गए आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.5.4.2 क्षेत्रीय संरचना में अपील मामलों का लंबन

हमने देखा कि विव18 के अंत में विभिन्न मंचों में 28 कमिश्नरियों में 19,721 मामलों में शामिल ₹ 69,362 करोड़ बकाया थे। 19,721 मामलों में

से 880 मामलों में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक राजस्व, ₹ 46,451 करोड़ का कुल राजस्व था। इसके साथ 10 वर्ष से अधिक तक 721 मामले लंबित थे। 20 कमिश्नरियां जहां अपीलों में लंबित मामलों में शामिल की गई राशि ₹ 1,000 करोड़ से अधिक थी, जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक लंबित अपील मामलों की कमिश्नरी

कमिश्नरियां	वर्ष 2017-18 के अंत में लंबित मामले		लंबित मामलों का समय-वार ब्रेकअप				ऐसे मामलें जहां ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि शामिल थी	
	सं.	राशि	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	>10 साल	सं.	राशि
दिल्ली दक्षिण	548	8,516.02	325	148	68	7	71	8,913.61
बेंगलुरू उत्तर	819	6,896.68	411	213	188	7	74	5,814.59
हैदराबाद	1,004	6,271.75	636	127	204	37	124	5,860.32
दिल्ली उत्तर	264	4,489.79	181	35	43	5	12	4,251.43
कोलकाता उत्तर	1,101	4,421.84	559	150	290	102	77	2,615.88
सिलीगुड़ी	1,058	4,092.91	570	185	246	57	5	78.90
दमन	1,633	4,053.97	1,228	260	132	13	28	2,462.72
कोलकाता दक्षिण	740	3,665.24	353	115	215	57	74	2,088.13
सूरत	1,291	3,330.50	569	413	268	41	47	2,355.35
बेंगलुरू दक्षिण	918	2,906.17	257	249	391	21	53	1,885.53
बोलपुर	781	2,814.63	486	141	121	33	59	1,554.53
हावड़ा	788	2,255.33	539	123	53	73	43	140.27
कोच्चि	1,977	1,894.99	1,441	348	177	11	18	361.05
बेंगलुरु पूर्व	970	1,727.33	459	220	247	44	35	795.42
हल्दिया	409	1,711.27	193	17	183	16	21	1,312.40
मंगलौर	968	1,492.60	469	246	229	24	19	1,002.52
दिल्ली पूर्व	286	1,480.16	191	45	38	6	14	591.23
अहमदाबाद	1,063	1,336.34	687	148	214	14	15	891.32
बेंगलुरू उत्तर पश्चिम	606	1,112.62	211	209	177	9	12	581.62
त्रिची	659	1,017.61	273	179	188	19	19	546.53
कुल	**17,883**	**65,487.74**	**10,038**	**3,571**	**3,672**	**596**	**820**	**44,103.36**

विव18 के अंत में 20 कमिश्नरियों में यह देखा गया कि अपील में ₹ 65,488 करोड़ के राजस्व के 17,883 मामले लंबित थे। 17,883 मामलों में से 3,672 मामले पांच से दस वर्ष तक लंबित थे जबकि 596 मामले दस

वर्ष से अधिक लंबित थे। इसके अतिरिक्त कुल ₹ 44,103 करोड़ की राशि वाले 820 मामले थे जहां प्रत्येक मामले में 10 करोड़ से अधिक की राशि शामिल थी।

मंत्रालय ने मुख्य स्तर पर बडे लंबनों में कोई टिप्पणी नहीं की और केवल कमिश्नरियों से प्राप्त उत्तरों को ही अग्रेषित (अक्टूबर 2018) किया जो निम्न प्रकार है:

- हैदराबाद, सिलिगुड़ी, सूरत और मंगलौर कमिश्नरियों जहां आवश्यकता हो में शीघ्र सुनवाई आवेदन दायर किये जा रहें थे, और लंबन को कम करने के प्रयास किये जा रहें थे।
- कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में, कमिश्नरियों द्वारा अपीलों की निगरानी की जा रही थी।
- हल्दिया कमिश्नरी के संबंध में, केवल अपील मामलों के आंकडें ही दिये गये थे।
- त्रिची कमिश्नरी में, 10 करोड़ से अधिक के 19 मामलों की स्थिति को सूचित किया गया था।
- बोलपुर और बेंगलुरू पूर्व कमिश्नरियों में यह सूचित किया गया था कि 392 और 177 मामलों का क्रमश: अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 के दौरान निपटान किया गया था।
- बेंगलुरू दक्षिण, अहमदाबाद और सात अन्य[22] कमिश्नरी के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

अपीलों में बड़ी रकम का अवरूद्ध होना चिंता का विषय है। मंत्रालय को निगरानी और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या उच्च राजस्व मामलों को शीध्र निपटाने के प्रयास करने के लिए इसके अनुदेशों का अनुपालन क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा किया जा रहा है।

---

22 दिल्ली दक्षिण, बेंगलुरू उत्तर, दिल्ली उत्तर, दमन, हावड़ा, कोच्चि और दिल्ली पूर्व

3.5.5 क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम/ नियमावली/ पद्धतियों के अननुपालन के परिणामस्वरूप अपील निरस्त होना

अधिनियम/ नियमावली/ प्रक्रियाओं तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बोर्ड के निर्देशों की उचित निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने 28 कमिश्नरियों में निपटाए गए कुल 4,286 अपील मामलों में से, 1,833 मामलों की जांच की तथा यह पाया कि 13 कमिश्नरियों से संबंधित ₹ 126.33 करोड़ के राजस्व वाले 60 मामलों (3 प्रतिशत) में, अपीलों को विभाग की ओर से चूकों के कारण सेस्टेट/ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था जैसाकि तालिका 3.9 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 3.9: विभागीय कमियों के कारण सेस्टेट/उच्च न्यायालय में निरस्त अपीलें

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	कमिश्नरी के नाम	निरस्त अपीलों की सं.	राशि	विभाग की कमी
1	दमन	37	51.75	कार्यालय आपत्तियों को हटाया न जाना
2	बेंगलुरू उत्तर	1	0.04	आरंभ में स्वीकृत पुन भुगतान के प्रति नयी एससीएन जारी करना
3	छह कमिश्नरयां[23]	8	65.81	एससीएन समय बाधित
4	बेंगलुरू दक्षिण	1	0.08	अधिनिर्णयन के दौरान निर्धारिती को समुचित अवसर और आधार दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराऐ गऐ।
5	मंगलौर	2	0.78	उचित मंच में अपील दाखिल न किया जाना
6	बेलगाम	1	2.18	एससीएन में शास्ति की मांग न करना लेकिन अधिनिर्णयन चरण में उसकी पुष्टि करना
7	पाँच कमिश्नरियां[24]	9	5.64	एससीएन में असत्य या कम जानकारी देना
8	हैदराबाद	1	0.05	अलग एससीएन जारी न करना, पुनर्भुगतान की नीरस्त राशि के लिए प्रस्ताव करना और अपीलकर्ता को कोई अवसर न देना
कुल		**60**	**126.33**	

---

23 बेंगलुरू पूर्व, बेंगलुरू दक्षिण, बेलगाम, हल्दिया, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण

24 बोलपुर, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, शिलांग

एक मामले का वर्णन निम्नानुसार है:

हमने पाया कि दमन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले एक निर्धारिती (₹ 2.15 करोड़ का राजस्व शामिल) के मामले में, विभाग ने सीईजीएटी आदेश के प्रति गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर (फरवरी 2004) की। 26 अप्रैल 2004 को विभाग की अपील को कार्यालय की आपत्तियों[25] को हटाये न जाने के कारण निष्पादित दिखाया गया। तथापि, मामले के निपटान का तथ्य विभाग को अक्टूबर 2016 में पता चला जब अगस्त, 2016 में उच्च न्यायालय की वेब साईट पर मामले की स्थिति अद्यतन हुई (विभाग द्वारा तब तक स्थिति लंबित ही दर्शायी जा रही थी)। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि 27 अगस्त 2004 को मामले के लिए (स्टैम्प सं. 350/2004) शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किया गया था यद्यपि अप्रैल 2004 में मामले का निपटान किया जा चुका था।

इस प्रकार, विभाग सरकारी अधिवक्ता के माध्मय से उक्त अपील की स्टेटस निश्चित करने में विफल रहा। इससे अपील मामलों की खराब अनुवर्ती कार्यवाही और निगरानी का पता चलता है। दमन कमिश्नरी के संबंध में निर्धारितियों से संबंधित 2012 से 2016 के बीच विभाग द्वारा दायर 36 अन्य समान अपीलें (₹ 49.60 करोड़ के राजस्व सहित) समान कारणों से गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई थी। इन 36 मामलों में से, विभाग को न्यायालय द्वारा उनके निपटान के 2 वर्षों से भी अधिक अवधि के पश्चात केवल 16 मामलों के निपटान की जानकारी थी। यह दर्शाता है कि अपील मामलों की अनुवर्ती कार्यवाही तथा निगरानी तंत्र में गंभीर कमी है।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2018) तो मंत्रालय ने बताया कि (अक्टूबर 2018) 37 अपीलों में से, 18 अपीलें अपील के लिए मौद्रिक सीमा के संशोधित नियमों के कारण वापिस ली जा चुकी है/ वापिस ली जाने की प्रक्रिया में है। शेष मामलो में, उच्च न्यायालय में नवीनीकरण अपील दायर की गई है। मंत्रालय ने मामले की निगरानी में विलंब के लिए विभिन्न कारण जैसे कि अपील मामलों का एकत्रित हो जाना, क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण

25 कागजी कार्यवाही में प्रक्रियात्मक खामियों से संबंधित मामूली आपत्तियां

मुम्बई उच्च न्यायालय में अपील दायर करना, विभाग का पुनर्गठन, सरकारी अधिवक्ता द्वारा स्थिति की सूचना न दिया जाना और उच्च न्यायालय वेबसाईट का अद्यतित न होना बताऐ।

शेष 23 मामलों के संबंध में, 11 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है और 12 मामलो में मंत्रालय का उत्तर निम्नानुसार है:

आठ मामलों में से (क्रम सं. 03) चार मामलों में मंत्रालय ने विवरण उपलब्ध कराऐ जो यह दर्शाते हैं कि एससीएन में विस्तारित अवधि का अनुरोध अधिकरण/न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया। चार मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था।

दो मामलों में (क्रम सं. 05) यह कहा गया कि ये मामले निरस्त कर दिये गऐ क्योंकि इन्हें सेस्टेट में फाइल किया गया था यद्यपि इन्हे रिवीजन आवेदन (आरए) में फाइल किया जाना था।

एक मामले में (क्रम सं. 06) यह कहा गया कि एससीएन में अनुचित धारा के अंतर्गत शास्ति लगाई गई थी और अनुचित धारा के अंतर्गत शास्ति लगाए जाने के लिए विभाग की अपील निरस्त कर दी गई। विभागीय कमियों के कारण ₹ 2.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

नौ मामलों में से (क्रम सं. 07) पांच मामलो में यह कहा गया कि मामलों का निपटान मेरिट के आधार पर किया गया किंतु उनके विवरण उपलब्ध नहीं कराऐ गऐ। चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था।

तीन अन्य मामलों में (क्रम सं. 2, 4 तथा 8) में उत्तर प्रतीक्षित था।

3.5.6 क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अननुपालन के अन्य मामले

नियमों तथा प्रक्रियाओं के अननुपालन के परिणामस्वरूप पैरा 3.5.5 में चर्चा किए अनुसार विभागीय चूकों की वजह से मामलों को खारिज किया गया, हमने अधिनियम/ नियमावली/ प्रक्रियाओं तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बोर्ड के निर्देशों के अननुपालन के अन्य मामलों का भी अवलोकन किया जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

3.5.6.1 सेस्टेट/ उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों की प्राप्ति और समीक्षा में विलंब

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35जी के अनुसार अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील में परित प्रत्येक आदेश से 01 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात उच्च न्यायालय में अपील तभी प्रस्तुत होगी (उत्पाद शुल्क की दर या निर्धारण के उद्देश्य के लिए वस्तु के मूल्य के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है, अन्य बातों के साथ, इस तथ्य का निर्धारण होने के पश्चात) यदि उच्च न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट है कि मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। अपील प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश से असंतुष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर या अन्य पक्ष उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कर सकता है और इस उप-धारा के तहत इस प्रकार की अपील उस तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर दर्ज की जा सकती है, जिस दिन कमिश्नर या अन्य पक्ष द्वारा अपील की गई थी। उच्च न्यायालय एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट होता है कि उक्त अवधि के अंतर्गत दर्ज नहीं किये जाने के पर्याप्त कारण थे। डीएलए, सीबीआईसी, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गए अपीलीय अदालतों में मुकदमेबाजी पर मानक प्रचालन प्रक्रिया उच्च न्यायालय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल के लिए 90 दिनों की समावधि अनुबंधित करती है।

चार कमिश्नरियों[26] में कुल 813 मामलों में से हमने 163 मामलों की जांच की तथा यह पाया कि चेन्नई आउटर कमिश्नरी में, ₹ 2.27 करोड़ के राजस्व को सम्मिलित करते हुए 11 मामलों (9 प्रतिशत) में, सेस्टेट और उच्च न्यायालय के आदेशों की विलम्ब से समीक्षा की गई जबकि ₹ 5.13 करोड के राजस्व वाले 4 मामलों में अभी भी समीक्षा की जानी है, ब्यौरे नीचे दिये गए है-

तालिका 3.10 : आदेशों की समीक्षा में विलम्ब

कमिश्नरी के नाम	न्यायालय	मामलों की संख्या	मूल्यराशि (₹ करोड़ में)	विलम्ब सीमा (दिनों में)
चेन्नई आउटर	सेस्टेट	7	1.18	23-222
	उच्च न्यायालय	4	1.09	90-300
	उच्च न्यायालय	4	5.13	90-450 (समीक्षा की जानी है)

26 चेन्नई आउटर, त्रिची, हैदराबाद तथा सिलीगुड़ी

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

एक निर्धारिती (₹ 1.24 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए) से संबंधित सीएमए सं. 2704/2017 के संबंध में दिनांक 30 अगस्त 2017 का मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश 27 दिसम्बर 2017 को विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था। विवादित उच्च न्यायालय आदेश की स्वीकार्यता के संबंध में टिप्पणियों और राय लेने हेतु सहायक कमिश्नर (विधि) ने 25 जनवरी 2018 को एसी, गुमीडीपोन्डी डिवीजन को सम्बोधित किया और इस उद्देश्य हेतु 27 फरवरी 2018 को एक अनुस्मारक भी डिवीजन को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी समीक्षा लम्बित थी और विभाग के लिए अपील को प्राथमिकता देने का अवसर, यदि कोई हो, 90 दिनों की समय सीमा के कारण समाप्त हो गया था। डिवीजन की टिप्पणियों के विषय में चेन्नई आउटर कमिश्नरी को दिनांक 09 मार्च 2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था जो कि विधि प्रभाग में 12 मार्च 2018 को प्राप्त हुआ था। 4 महीनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी समीक्षा अभी भी लम्बित थी (अगस्त 2018)।

इस प्रकार, विभाग ने बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और अंतर-विभागीय समन्वय न होना भी न्यायालय के आदेशो की समीक्षा में विलम्ब हेतु एक उत्तरदायी कारक था। मुख्यरूप से, उन मामलों में जहां विभाग के विरूद्ध निर्णय दिया गया हो और आदेश के विरूद्ध अपील करने की कोई संभावना नहीं हो, इस प्रकार का विलम्ब विभाग द्वारा किए जाने वाली समीक्षा के वास्तविक उद्देश्य को विफल करता है, क्योंकि मामले समयबद्ध हो जाते है।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2018), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और बताया कि जीएसटी परिवर्तन काल के दौरान अधिकारियों और फाइलों के हस्तांतरण के कारण विलम्ब हुआ।

बोर्ड को परिवर्तन चरण के दौरान व्यापार निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने की जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद पुराने मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जाए, की आवश्यकता है।

3.5.6.2 शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दर्ज नहीं किया जाना

बोर्ड ने परिपत्र सं. 746/62/2003-सीएक्स दिनांक 22 सितम्बर 2003 के द्वारा, निर्देशित किया था कि सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सेस्टेट के समक्ष इस प्रकार की प्रार्थना हेतु स्पष्ट रूप से आधार को इंगित करते हुए उच्च राजस्व हिस्सेदारी के मामलो की शीघ्र सुनवाई हेतु विविध आवेदन को दर्ज किया जाना चाहिए।

17 कमिश्नरियों[27] में कुल 3,422 मामलों में से हमने 852 मामलों की जांच की तथा यह पाया कि सात कमिश्नरियों में ₹ 1,109.56 करोड़ के राजस्व को शामिल करते हुए 41 मामलों (5 प्रतिशत) में विविध शीघ्र सुनवाई याचिकाएं दर्ज नहीं की गई थी, जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 3.11: मामले जहां शीघ्र सुनवाई आवेदन दर्ज नहीं किये गए थे।

क्र. सं.	कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	मूल्यराशि (₹ करोड़ में)	जहां लम्बित है
1	दिल्ली पूर्व	2	242.97	सर्वोच्च न्यायालय
2	दिल्ली दक्षिण	7	345.94	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
3	दिल्ली पश्चिम	1	26.26	उच्च न्यायालय
4	चेन्नई आउटर	11	449.90	उच्च न्यायालय
5	कोच्चि	6	2.47	उच्च न्यायालय और सेस्टेट
6	अहमदाबाद	13	41.49	उच्च न्यायालय
7	बेलगाम	1	0.53	सेस्टेट
	कुल	**41**	**1,109.56**	

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

चेन्नई आउटर (पूर्व में चैन्नई III) कमिश्नरी में एक निर्धारिती को धारा 77 और 78 के तहत क्रमश: ब्याज और दंड के साथ-साथ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के प्रावधान के तहत ₹ 32.12 करोड़ का मांग प्रस्तावित करते हुए एक एससीएन (जुलाई 2014) जारी किया गया था। मूल-आदेश से असंतुष्ट, निर्धारिती ने कमिश्नरी के द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 26122 और 26123/2014

27 अहमदाबाद उत्तर, बेलागावी, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु उत्तर पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, चेन्नई आउटर, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पश्चिम, हैदराबाद, कोच्चि, मंगलोर, मैसूर, और त्रिची।

दर्ज की थी। यद्यपि मामला चार वर्षो से अधिक तक अपील के अधीन था, विभाग द्वारा सुनवाई याचिका दाखिल करके इसके शीघ्र निपटान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया जिनके परिणामस्वरूप बड़े राजस्व वाले अपील के मामले लम्बे समय तक लम्बित थे।

जब हमने इसके विषय में बताया (अगस्त 2018), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि एक निर्धारिती के मामले में, शीघ्र सुनवाई के आवेदन दर्ज करने हेतु स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए थे और अपील का दायर किया जाना प्रक्रियाधीन है।

दिल्ली पूर्व कमिश्नरी के संदर्भ में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किया गया है। चार कमिश्नरियों[28] में शीघ्र सुनवाई का आवेदन फाइल करने के लिए स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए हैं।

दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी के संदर्भ में मंत्रालय ने बताया कि राजस्व का वास्तविक मूल्य ₹ 4.38 करोड़ ही था परन्तु मासिक तकनीकी रिपोर्ट में गलती से ₹ 26.25 करोड़ दर्शाया गया था। चूंकि सन्निहित राशि ₹ 10 करोड़ से कम है अत: बोर्ड की परिपत्र संख्या 416/62/2003-सीएक्स दिनांक 22 सितम्बर 2003 के अनुसार शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं था।

दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2018)।

दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त परिपत्र में कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं है और निर्देश दिया गया था कि उन मामलो में शीघ्र सुनवाई दर्ज की जानी चाहिए जिनमें पर्याप्त राजस्व शामिल हो। इसके अलावा, चार कमिश्नरियों में 23 मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दर्ज करने के लिए स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए थे जहां राशि 10 करोड़ से कम है। यह दर्शाता है कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय संरचनाओं के मध्य कोई एकरूपता नहीं है।

---

28 चेन्नई आउटर, कोच्चि, अहमदाबाद, बेलागावी

मंत्रालय को शीघ्र सुनवाई के आवेदन के लिए मौद्रिक सीमा के साथ उचित निर्देश जारी करना चाहिए ताकि इस संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं के मध्य एकरूपता बनी रहे। मंत्रालय लम्बित मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं को संवेदनशील भी बना सकता है।

3.5.6.3 मामलों की बंचिंग

बोर्ड ने परिपत्र संख्या 296/34/2004-सीएक्स.9 (पीटी), दिनांक 11 अगस्त 2004 के द्वारा अनुबंध किया कि क्षेत्राधिकारी कमिश्नर को पर्याप्त राजस्व वाले समान मुद्दों पर मामलों की बंचिग भी करनी चाहिए और उनके शीघ्र निपटान के लिए एक साथ सुनवाई हेतु न्यायालय को अनुरोध करना चाहिए।

चार कमिश्नरियों[29] में कुल 2,635 मामलों में से हमने 300 मामलों की जांच की तथा तीन कमिश्नरियों में देखा कि 21 समान मुद्दों के तहत बंचिंग के लिए ₹ 211.85 करोड़ के राजस्व वाले 145 मामलें (48 प्रतिशत) उपयुक्त थे जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:-

तालिका 3.12: मामले जो एकत्रित नहीं किये गये

क्र. सं.	कमिश्नरी का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शामिल समान मुद्दों की संख्या
1	चेन्नई आउटर	24	71.51	5
2	त्रिची	104	137.66	11
3	कोच्चि	17	2.68	5
	कुल	**145**	**211.85**	**21**

तथापि इन मामलों की बंचिंग के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा ट्रिब्यूनल को एक साथ सुनवाई करने के लिए अनुरोध भी किया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), तब मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि चेन्नई आउटर और त्रिची में समान मुद्दों वाले मामलों की बंचिंग हेतु याचिका दायर करने के लिए स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए थे। मंत्रालय ने कोच्चि कमिश्नरी के संदर्भ में बताया कि 17 मामलों में से 11 मामलों में शामिल राशि ₹ 20 लाख से कम है अत: बोर्ड के निर्देशों के आधार पर इन मामलों को वापिस लिया जाना है।

---

29 चेन्नई आउटर, त्रिची, कोच्चि, हैदराबाद

यद्यपि मंत्रालय ने इन तीन कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और स्थाई परिषदो को निर्देश जारी किए, तथापि तथ्य यह है कि अपेक्षित कार्यवाही लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ही की गई। लेखापरीक्षा ने पहले भी 2017 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा संख्या 2.8.4 और 2016 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा संख्या 2.8.4 के माध्यम से इस मामले को उठाया था जिसके लिए मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि बंचिंग की जा रही थी।

अपील मामलो के अधिक लम्बन के मद्देनजर मंत्रालय को लम्बित अपील मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए इसके क्षेत्रीय सगंठनों को संवेदनशील बनाना चाहिए।

3.5.6.4 अपील दायर करने में विलम्ब

डीएलए, सीबीआईसी, नई दिल्ली द्वारा जारी 'अपीलीय फोरम में मुकद्मेबाजी पर मानक प्रचालन प्रक्रिया' में उच्च न्यायालय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 90 दिनो की समयावधि और सेस्टेट आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 180 दिनो की समयावधि निर्धारित की गई है।

28 कमिश्नरियों में कुल 7,331 मामलों में से हमने 1,969 मामलों की जांच की तथा चार कमिश्नरियों में देखा कि ₹ 25.33 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 12 मामलो (0.6 प्रतिशत) में, अपीले 10 दिनो से 577 दिनों तक के विलम्ब से दायर की गई थी जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:

तालिका 3.13: मामला जहां अपील विलंब से दर्ज की गई

क्र. सं.	कमिश्नरी का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अपील के मंच	देरी की सीमा (दिनों में)
1	सूरत	4	1.83	सर्वोच्च न्यायालय	33
2	अहमदाबाद	4	5.56	उच्च न्यायालय	10
3	दिल्ली पश्चिम	3	11.47	सर्वोच्च न्यायालय	59-363 (अपील जिन्हे दर्ज किया जाना है)
4	दिल्ली उत्तर	1	6.47	उच्च न्यायालय	577
	कुल	**12**	**25.33**		

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

दिल्ली उत्तर कमिश्नरी में, ₹ 6.47 करोड़ के राजस्व वाले एक निर्धारिती के अपील मामले से संबंधित फाइलों की समीक्षा से पता चला कि विभाग ने इस आधार पर विलम्ब की माफी के लिए आवेदन किया था कि विवादित सेस्टेट के अंतिम आदेश दिनांक 14 फरवरी 2013 की प्रमाणित प्रति विभाग द्वारा 24 सितम्बर 2014 को प्राप्त की गई। सेस्टेट के अंतिम आदेश दिनांक 14 फरवरी 2013 को चुनौती देने वाली अपील करने में 577 दिनों का असामान्य विलम्ब हुआ था। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने विलम्ब और मामले की मैरिट के आधार पर आवेदन को रद्द कर दिया था (जुलाई 2015)। अत: विभाग द्वारा दायर करने में समय सीमा के अननुपालन के परिणामस्वरूप अपील रद्द हो गई।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), तब मंत्रालय ने तीन कमिश्नरियों[30] में विलम्ब को स्वीकार किया तथा बताया कि दो मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने विलम्ब माफ कर दिया था। शेष कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

मंत्रालय को यथोचित कार्यवाही करने चाहिए तथा राजस्व हित में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5.6.5 पूर्व जमा सूचना का अननुरक्षण

केन्दीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में कमिश्नर (अपील) या सेस्टेट के समक्ष अपील दायर करने के लिए निश्चित शुल्क या लगाई गई शास्ति के अनिवार्य पूर्व जमा का प्रावधान करती है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ई के द्वारा सेवाकर पर भी लागू है।

पूर्व जमा के प्रतिदाय के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ईई के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफएफ में प्रावधान है कि "जहां अपील प्राधिकरण ने अपीलकर्ता के पक्ष में मामले पर निर्णय दिया है वहां पूर्व जमा राशि का प्रतिदाय, मांगने वाले अपीलकर्ता के पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर ब्याज सहित किया जाना

---

30 सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली पश्चिम

है चाहे अपील प्राधिकरण का आदेश विभाग द्वारा चुनौती हेतु प्रस्तावित हो या नहीं।''

इसके अलावा, पूर्व जमा करने की प्रक्रिया तथा तरीका यह अनुबंधित करता है कि ''केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ई के अन्तर्गत किए गए जमा के अभिलेखों का रखरखाव कमिश्नरी द्वारा किया जाना है ताकि अपील प्राधिकरण से पक्ष में किए गए आदेश के मामले में प्रतिदाय दावों के संसाधन के समय जमा की निर्बाध जांच को सरल बनाया जा सके।''

21 कमिश्नरियों[31] में कुल 3,735 मामलों में से हमने 1,822 मामलों की जांच की तथा कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में यह देखा कि 20 मामलों (1 प्रतिशत) में आस्थगन आदेश जारी किए गए थे जिनमें अक्टूबर 2014 से जुलाई 2015 तक की अवधि हेतु ₹ 2.74 करोड़ के पूर्व जमा आवेदनकर्ता/निर्धारिती द्वारा जमा कराए जाने थे। तथापि पूर्व जमा का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलिखित नहीं पाया गया। पूर्व जमा अभिलेखो का अनुरक्षण न होना कोडल प्रावधानों के अननुपालन को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप विलम्बित/ चूकपूर्ण प्रतिदाय दावे यदि कोई हो, हो सकते हैं।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), तब मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि अभिलेखों के अद्यतन के लिए कार्यवाही की गई है।

3.5.6.6 क्षेत्रीय संरचनाओं में डाटाबेस/अपील रजिस्टरों का अनुपयुक्त रखरखाव

10 नमूना जांच कमिश्नरियों[32] में से दो कमिश्नरियों में हमने देखा कि डाटाबेस और अपील रजिस्टरों का रखरखाव उचित रूप से नहीं किया गया था जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:

31 बेलागावी, बेंगलुरू पूर्व, बेंगलुरू उत्तर, बेंगलुरू उत्तर-पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, बोलपुर, चेन्नई आउटर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मैंगलोर, मैसूर, शिलांग, सिलीगुड़ी और त्रिची ।

32 दिल्ली पूर्व, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली उत्तर, दिल्ली पश्चिम, अहमदाबाद उत्तर, चेन्नई आउटर, त्रिची, हैदराबाद, कोलकाता दक्षिण और शिलांग।

(i) दिल्ली पूर्व कमिश्नरी में लेखापरीक्षा ने देखा कि सेसटैट निलंबित अपील मामलो के लिए निर्धारिती के ब्यौरे अर्थात पार्टी का नाम, मामला संख्या, वर्ष, सम्मिलित मामला आदि का कोई केन्दीकृत डाटाबेस नहीं था।

(ii) अहमदाबाद कमिश्नरी में विव16 से विव18 के लिए विभाग द्वारा दायर की गई अपील हेतु सेस्टेट रजिस्टर की जांच के दौरान यह देखा गया कि उक्त का रखरखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था क्योंकि अपेक्षित स्तंभ रिक्त और अपूर्ण पाए गए थे। 'समीक्षा की अंतिम तिथि' 'अपील दायर करने के ब्यौरे' 'विभाग द्वारा स्वीकृत है या नहीं' आदि से संबंधित सूचना/ प्रविष्टियां रजिस्टर में दर्ज नहीं थी।

अत: विभाग ने अपील मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण ब्यौरों का रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया जिसने अपील मामलों की उचित निगरानी को प्रभावित किया।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018) जब मंत्रालय ने दोनों कमिश्नरियों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकृत की (अक्टूबर 2018) तथा बताया कि उपचारात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है/ कर ली गई है तथा अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है।

3.6 निष्कर्ष

अपीलों में बड़ी मात्रा में राजस्व अवरूद्ध होने के बावजूद, बोर्ड के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर मामलों की अपील के निगरानी तंत्र अपर्याप्त है जैसा कि आंकड़ों के अव्यवस्थित रखरखाव, बोर्ड के निर्देशों जैसे जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन भरना, मामलों की बंचिंग, का पालन नहीं किया जाने और विभाग की चूक के फलस्वरूप अपील के निरस्त होने से प्रमाणित होता है। मंत्रालय द्वारा उचित निगरानी और मामलों की अपील के निपटान के लिए तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।